

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सुन्दरीदेवी

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 179/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2015	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 996 रकबा 06.07 बीघा भूमि में सुन्दरीदेवी पत्नी पाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई नाम दर्ज हैं। जबकि वास्तविक नाम सुन्दरीदेवी पत्नी बाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई हैं। सबूत में वादी/वादिया ने आधार कार्ड, पहचान-पत्र की छाया प्रति पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 996 रकबा 06.07 बीघा भूमि में सुन्दरीदेवी पत्नी पाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई नाम दर्ज हैं। जबकि वास्तविक नाम सुन्दरीदेवी पत्नी बाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई हैं। सबूत में वादी ने आधार कार्ड, पहचान-पत्र की छाया प्रति पेशकी हैं। वादी का नाम दर्ज किया जाता हैं, तो प्रति0 को कोई आपति नहीं हैं। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 996 रकबा 06.07 बीघा भूमि में सुन्दरीदेवी पत्नी पाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई नाम के स्थान पर सुन्दरीदेवी पत्नी बाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p> <p>SDO</p>	

688
18.5.11

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

जि अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

सुन्दरीदेवी पत्नी बाबुराम गुर्जर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी आसरलाई

जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

तहसील-जैतारण,

जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 179 / 2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेशहोकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा- आसरलाई तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 996 रकबा 06.07 बीघा भूमि में सुन्दरीदेवी पत्नी पाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई नाम के स्थान पर सुन्दरीदेवी पत्नी बाबुराम गुर्जर निवासी आसरलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिक्व मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र आसरलाई में आज तारीख 10.06.2015 को जारी किया गया ।
मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुकमनामा		
बाबत ईजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।